न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीपकुमार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 388/2019

रिछपाल राम पुत्र लाछाराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी तहसील नावां जिला नागौर

बनाम प्रार्थी

1. तेजाराम पुत्र लुणाराम जाति मेघवाल निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) कोलायत

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व 151 सी.पी.सी

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री हनुमान गिरि वकील प्रार्थी
2. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित
3. पैरोकाराज,कोलायत

आदेश

दिनांक 5/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र ग्राम दियातरा के खसरा नं. 445/61 में खसरा नं. 442/61 की तरमीन कर दी गयी जो गलत होने के कारण दुरस्ती हेतु राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,136 व 151 सी.पी.सी. के तहत श्री हनुमान गिरि एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुंत किया। प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने ग्राम दियातरा के खसरा नं. 61 में रकबा 24 बीघा खातेदारी भूमि मोडाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी दियातरा से बैयनामे से खरीद की गयी व अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राम दियातरा के खसरा नं. 61 मे रकबा 5 बीघा खातेदारी भूमि भगवानाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी दियातरा से बैयनामे से खरीद की गयी जो पूर्व में खाता विभाजन किया गया था उसी अनुसार मौके के कब्जा काश्त अनुसार सही था परन्तु बाद में ग्राम दियातरा का क्षेत्र उपनिवेशन विभाग में आ गया अप्राथी सं. 1 ने उपनिवेशन पटवारी को अपनी 5 बीघा भूमि को नये सिरे से नक्शे में तरमीम करवाने का कहा तो हल्का पटवारी ने

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

बिना सक्षम अधिकारी के आदेश लिए व बिना मौका देखे अप्रार्थी सं. 1 के बताये अनुसार नक्शे में तरमीम कर दी गयी जो गलत होने के कारण निरस्त योग्य है। उक्त दोनों खसरों की भूमि पूर्व में राजस्व क्षेत्र के समय में सहकाश्तकारों की सहमति से खाता विभाजन किया गया था। उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जानी थी । परन्तु ऐसा उपनिवेशन पटवारी ने न करके अपनी मन मर्जी से तरमीम कर दी जो कब्जा काश्त के विपरीत है। इसलिए प्रार्थी उक्त तरमीम को निरस्त करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित आया और अपना इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया व तरमीन दुरूस्ती की सहमति प्रदान की गई। व अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित आया व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें सभी बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए तरमीम को गलत होना बताया व तरमीम निरस्त करने में सहमति प्रदान की गई। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों व पत्रावली का सही तरीके से अध्ययन व अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम दियातरा के खसरा नं. 442/61 की तरमीम गलत होनी साबित होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम दियातरा के खसरा नं. 442/61 की तरमीम निरस्त की जाती है। व प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि की कब्जा काश्त अनुसार नये सिरे से तरमीम करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) कोलयत के नाम से तहरीर जारी हो निर्णय आज दिनांक 5.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: